चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 10.01.2026 अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्री यामीन अहमद की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने हेतु सभी पेशनर्स को कहा गया साथ ही वर्तमान समय में साइबर ठगों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवित प्रमाण पत्र,सीबीआई,ईडी,एटीएस के अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी का शिकार किया जा रहा है,जिससे बचने हेतु जागरूक किया गया। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी दी गयी,पेंशनर्स के लिए कानूनी सहायता या शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी सांझा की गयी। पेंशनर्स को अपनी समस्याएं और अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया एवं उनके समस्याओं को नोट कर और उनके समाधान के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(3). आज दिनाँक 10.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना मऊ व थाना बरगढ़ में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें साथ ही कहा कि थाना पुलिस राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीम के साथ भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित कराए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मऊ व थाना बरगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर सम्बन्धित थाना प्रभारी को रजिस्टरों को अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना निस्तारण,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे,पीआरओ श्री पंकज तिवारी व अन्य पुलिस एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक 10.01.2026 को माघ मेला प्रयागराज के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर जिला अधिकारी श्री देवी प्रसाद पाल की उपस्थिति में थाना बरगढ़ अन्तर्गत होल्डिंग एरिया ,मुरका बॉर्डर बैरियर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा होल्डिंग एरिया को बैरिकेडिंग कराने, लाइट,पानी एवं सर्दी के मौसम के दृष्टिगत अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु सम्बन्धित को बताया गया साथ ही जो श्रद्धालु दूर दराज से आएंगे उनके लिए मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था कराए जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न होने पाए।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे,पीआरओ श्री पंकज तिवारी एवं अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहें।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका पूजा चौरसिया पत्नी मनोज कुमार चौरसिया निवासी शंकरगंज खटकाना मोहल्ला कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष अपने पति मनोज कुमार चौरसिया द्वारा शारीरिक,मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए घर से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

3.महिला आरक्षी नीतू नायक

(6).पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी व कूटरचित तरीके से सिमकार्ड एक्टिवेट करने के मु०अ०स० 115/2025 धारा 34/419/420/465/467/468/471/ भा०द०वि० व 66 सी, 66 डी आईटीएक्ट के 50000- रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिहान शेख को मुम्बई से गिरफ्तार।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

शिहान सेख उम्र 35 वर्ष पुत्र मो0 इस्तियाक सेख निवासी ग्राम बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ हाल मुकाम मिस्त्री चैम्बर बिल्डिंग शाप नं0 07ए अपोजिट टेलीफोन भवन थाना कुलावा जिला मुम्बई नं0 05, 400005

गिरफ्तारी का स्थान-दिनाँक-समय-

कुलावा मार्केट पुष्पा भवन दुकान नं0 6 देवी व्यास रोड मुम्बई, 400005 दिनांक 08.01.2025 समय 16.30 बजे

बरामदगी-

1.02. अदद मोबाइल फोन

2.01 अदद पैन कार्ड

3.01 अदद डीएल

4.12 अदद एटीएम कार्ड

5.01 अदद चेक बुक

6.4880 रुपये नगद

संक्षिप्त विवरण-

उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय हमराहीयान उपरोक्त के हस्ब आदेश अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ महोदय के द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में तलाश पुरूस्कार घोषित अपराधी हेतु मुम्बई प्रान्त के कुलावा कस्बा में मौजूद था कि तभी मुखबिर खास उपस्थित आकर बताया कि थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के मु0अ0सं0 115/2025 धारा 34/419/420/465/467/468/471 भादवि व 66सी/66डी आई0टी0 एक्ट का वाँछित अभियुक्त शेख सिहान अपनी दुकान पर मौजूद है जिस पर 50000/- रूपये का पुरूस्कार घोषित है मौजूद है शीघ्रता किया जाये तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान की ओर मय टीम के प्रस्थान किया अभियुक्त सिहान सेख अपनी दुकान कुलावा मार्केट पुष्पा भवन दुकान नं0 6 देवी व्यास रोड मुम्बई, 400005 पर मौजूद मिला जिसको मु0अ0सं0 115/2025 धारा 34/419/420/465/467/468/471 भादवि व 66सी/66डी आई0टी0 एक्ट में वाँछित व पुरूस्कार घोषित अपराधी होने एवं मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा गिरफ्तारी हेतु 28.08.2025 को NBW जारी होने का बोध कराते हुये दिनांक 08.01.2025 समय 16.30 बजे बाजाफ्ता बाकायदा नियमानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशो का पालन करते हुये गिरफ्तार किया गया एवं मौके पर गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मौके से ही गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के चाचा मो0 सोहेल के मोबाइल नं0 9820157565 पर मोबाइल नम्बर 9648417777 से दिया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह
3. हे0का0 दीपेन्द्र सिंह
4. , हे0का0 रणविजय सिंह
5. हे0का0 दीपक सिसौदिया

6. चालक शिववीर सिंह

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी व उनकी टीम द्वारा 10,000/- रुपये के इनामी अपराधी लकी उर्फ मो0 शहनवाज शाह पुत्र नुरूलहुदा शाह निवासी 116/926 रोशन नगर थाना रावतपुर जिला कानपुर नगर को गिरफ्तार किया जो कि मु0अ0सं0 88/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना राजापुर का वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार वांछित अभियुक्त लकी उर्फ मो0 शहनवाज शाह उपरोक्त उक्त मुकदमा में काफी दिनों से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष राजापुर उ0नि0 श्री पंकज तिवारी
2. उ0नि0 इमरान खान
3. का0 शुभम मिश्रा
4. का0 विमलेश

5. चालक का0 पवन राजपूत